

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 1225 OF 2024

IN THE MATTER OF

AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particular	Page No.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR PRADESH	1-4
2.	ANNEXURE 1 Copy of letter dated 05.12.2024	5-6
3.	ANNEXURE 2 Copy of the letter dated 08.01.2025.	7
4.	ANNEXURE 3 Copy of the letter dated 15.01.2025	
5.	ANNEXURE 4 Copy of Inspection report of Premises of the M/s Kuber Traders.	8-10
6.	ANNEXURE 5 Copy of registration form of project proponent	11-14
7.	ANNEXURE 6 Copy of Water testing report of project proponent	15
8	ANNEXURE 7	

	<p>Copy of the Notification no. 330/76-3-2021-44 NG-2020 Dated 2.3.2021, to to exempt Micro and Small Enterprises in the Uttar Pradesh drawing ground water less than 10 cubicmeters/day from the provision of seeking No-Objection Certificate for ground water extraction. However, such Enterprises shall obtain registration certificate in the manner as prescribed under sections-10 and 11 of the aforesaid Act.</p>	16
--	---	-----------

Respondent No.-7

Ground Water Department,

Government of Uttar Pradesh

Through



Gigi C. George (Advocate),

Standing Counsel (UOI)

Ch. No. 457, Lawyers Block,

DHC, New Delhi

Gigicgeorge.adv42@yahoo.in,

M-9810625315

Place: New Delhi

Date: 03.02.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1225 OF 2024

IN THE MATTER OF

AMIT KUMAR

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.




...APPLICANT

...RESPONDENT(S)

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7
GROUND WATER DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 17.10.2024

I, Ankit Kumar S/o. Shri Ashok Kumar aged about 28 years working as Nodal Officer, District Groundwater Management Council Office at Block compass majra road shamli 247776 do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. I say that being the respondent no. 7 Ground water department Uttar Pradesh I am well conversant with the facts surrounding the present Original Application.
2. I say that Instant Original Application no. 1225/2024 titled Amit Kumar Vs Union of India & Ors., the applicant has alleged that respondent no. 15 -M/s. Kuber Traders is engaged in the processing and storage of char, pyrolysis oil, and furnace oil and is causing severe environmental pollution and creating health hazards.




3. That further the applicant alleges that the unit is operating without necessary environmental clearance and without obtaining consent to operate or NOC from UPPCB.
4. That in the present OA the Hon'ble Tribunal passed the order dated 17.10.2024 with following observation: -

"Learned Counsel for the applicant during the course of argument has referred to the notice dated 24.08.2024 sent by UPPCB to the respondent unit alleging violation of the norm and directing the unit to shift outside the 500-metre periphery of the educational, religious institutions, hospital and residential area. He has also referred to the photographs filed as annexure-2 to show the violation of norms by the unit. 5. Original application raises substantial issue relating to compliance of environmental norms. 6. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

7. List on 07.02.2025"


I say that Hon'ble Tribunal issued notice to the answering respondent and directed to file reply by way of affidavit.

6. That the Nodal Officer, District Ground Water Management Council Shamli has been directed to file the departmental compliance report/counter affidavit before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, vide letter number 1317/GWD/S-26 (NGT) dated 05.12.2024 of the Office of Director Ground Water Department, Uttar Pradesh, Bhu Jal



Bhawan in compliance with the order dated 17.10.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal. Copy of letter dated 05.12.2024 is annexed herewith as Annexure-1

7. That in compliance of hon'ble Tribunal order Office of Chief Development Officer issued notice vide by letter No. 77/GWD/Notice/2024-25 dated 08.01.2025 to the M/s Kuber Traders, in which M/s Kuber Traders was directed earlier to register the tube well made in relation to groundwater extraction on the web portal of the Ground Water Department. Copy of the letter dated 08.01.2025 is annexed herewith as Annexure- 2
8. That it is in line with the instructions given by the Office of Director Ground Water Department, Uttar Pradesh Bhu Jal Bhawan, vide letter No. 1317/GWD/S-26 (NGT) dated/Lucknow 05.12.2024, the Nodal Officer, District Ground Water Management Council Shamli, through its letter No. 84/GWD/2024-25 dated 15.01.2025, investigated the matter and prepared departmental findings. Copy of the letter dated 15.01.2025 is annexed herewith as Annexure- 3.
9. That an inspection was conducted on the permises of the M/s. Kuber Traders. Report of the same is annexed as Annexure-4. It is further submitted that M/s. Kuber Traders has Applied for Registration on Ground water department portal. It is further submitted that Project Proponent is using the water only for drinking purposes which is less than 10 KLD.
10. That after the direction from UPGWD, the project proponent has registered with answering respondent. The copy of the same is annexed as Annexure-5. It is submitted that water testing was conducted from the



region by the answering respondent. The copy of the same is annexed as Annexure-6.

11. That the answering respondent will file additional affidavit/reply if it is required or as and when directed by this Hon'ble Tribunal.




Verification



Verified at Ankit kumar on 01 Feb. 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been suppressed herewith


DEPONENT


DEPONENT

Sworn before me today about Ankit Kumar & Ashok Kumar RIT/LTI SIGNATURE OF DEPONENT
the deponent is/are identified by Sh. Vicky Pal
I have satisfied me/self by examining
The deponent who understand the
contents of the affidavit which has been
read over and explained by me to
the deponent, Fee charged Rs.-----


FARZANA
Advocate/Notary
Distt. Shamli
Regd. No. 13333/17
Exp. Date. 30/8/2027


मे घोषणा करने के साथ कर्ता के
जानता हूँ उसने इस साथ पर
आज मेरे  के साथ अर्क
हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी किया है

ATTESTED

FARZANA NOTARY
R.No:-13333/17.SHAMLI

ANNEXURE -1

5

कोर्ट केस/एन0जी0टी0/महत्वपूर्ण।
ई-मेल के माध्यम से

कार्यालय निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
भूजल भवन (रा0भू0सू0प्र0के0),
हरिहरपुर, शहीद पथ, लखनऊ।

संख्या- 1317 /भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक/लखनऊ/दिसम्बर 05 2024
विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1225/2024 Amit Kumar Vs
Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्, जनपद-शामली।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1225/2024 Amit Kumar Vs Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.11.2024 को प्राप्त हुआ है (मय संलग्नको सहित छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें फर्म पर निम्नानुसार "M/s Kuber Traders is engaged in the processing and storage of char, pyrolysis oil, and furnace oil and is causing severe environmental pollution and creating health hazards and Unit is operation without necessary environmental clearance and without obtaining consent to operate or NOC from UPPCB, it is also alleged that unit is operation in close proximity to residential areas, school, temple and emitting pollutants including dangerous/ hazardous gases such as Volatile organic Compound, sulphur Dioxide, Nitrogen Oxide, and carbon Monoxide." आरोप लगाते हुए वाद/मूल आवेदन-1225/2024 दाखिल किया गया है, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा संज्ञान लेते हुए दिनांक 17.10.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"..... 4. Learned Counsel for the applicant during the course of argument has referred to the notice dated 24.08.2024 sent by UPPCB to the respondent unit alleging violation of the norm and directing the unit to shift outside the 500-metre periphery of the educational, religious institutions, hospital and residential area. He has also referred to the photographs filed as annexure-2 to show the violation of norms by the unit.

5. Original application raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

6. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

7. List on 07.02.2025"

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रख्यापित 'भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में "उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियामक प्राधिकरण" का गठन किया गया है। अधिनियम, 2019 के प्रभावी अनुश्रवण/क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्" का गठन भी किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कूपों के पंजीकरण, भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन/नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों तथा भूजल व उससे सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। अधिनियम में निहित सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी भी नामित किये गये हैं।

प्रस्तुत किये गये उक्त वाद में सभी प्रतिवादियों, जिसमें विपक्षी पार्टी संख्या-07 के रूप में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को रखा गया है, को मा0 अधिकरण द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस, जिसके साथ मूल आवेदन का सार संलग्न कर प्रेषित करते हुए अपेक्षा की गयी है कि मूल आवेदन में प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 व 13 पर लगाये गये आरोपों/तथ्यों की जाँच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय प्रतिउत्तर तैयार करते हुए वाद में अगामी सुनवाई दिनांक 07.02.2025 से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये।

अतएव उपरोक्त के क्रम में आपको विषयांकित वाद में विपक्षी पार्टी संख्या-7/भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की ओर से विभागीय प्रतिनिधि नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा0 प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17.10.2024 के साथ संलग्न मूल प्रत्यावेदन में की गयी शिकायत के क्रम में मूल आवेदन में प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 व 13 पर लगाये गये आरोपों/तथ्यों की जाँच करते हुए सम्बन्धित वाद के सापेक्ष प्रस्तरवार विभागीय मंतव्य/पैरावाइस नैरेटिव/शपथ पत्र तैयार करते हुए, मा0 अधिकरण के सम्मुख ससमय उपस्थित होते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। ज्ञातव्य हों कि उक्त वाद में अगामी सुनवाई दिनांक 07.02.2025 को नियत की गयी है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अनुपम)

अधिशायी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

संख्या- 1317 / भू0ज0वि0 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद जनपद-शामली।
8. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त वाद के संबंध में जनपद शामली के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए वपकी पार्टी संख्या-07/भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 की ओर से ससमय दाखिल किये जाने वाले शपथपत्र में यथावश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपम)

अधिशासी अभियंता/
वै0सहा0(निदेशक)।

पत्रांक

77

/भू0ज0वि0/नोटिस/2024-25

दिनांक 08-01-2025

-:नोटिस:-

M/s Kuber Traders

Khasra No 110, Village Bhatti Majra,

Manglaura- Bidauli Road, Post- Udpur,

Tehsil- Un, District-Shamli, Pin Code- 247773

विषय:- आपकी फर्म द्वारा भूगर्भ जल अधिनियम-2019 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराने/अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त करने के संबंध में।

अवगत हो कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल निष्कासन के विनियमितकरण हेतु भूगर्भ जल अधिनियम-2019 20.10.2019 से प्रभावी है। अधिनियम के व्यवधान के अनुसार प्रदेश के समस्त औद्योगिक इकाइयों, व्यवसायिक उपयोगकर्ता एवं संरचनात्मक इकाई, सामूहिक भूजल बल्क उपयोगकर्ता जो कि भूगर्भ जल का निष्कासन अपने फर्म/संस्था/कम्पनी संचालन हेतु भूगर्भ जल का दोहन कर रही है। उन सभी फर्मों/कम्पनी/संस्थाओं को अपनी-अपनी ट्यूबवेल/बोरवेल का पंजीकरण भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल (<http://upgwdonline.in>) पर कराना तथा भूगर्भ जल के निष्कासन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य है।

आपकी फर्म/संस्था/कम्पनी द्वारा आज दिनांक तक भी अपने ट्यूबवेल/बोरवेल का पंजीकरण कराने/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने, विद्यमान ट्यूबवेल/बोरवेल का नवीनीकरण कराने आदि की कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि एक दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्तानुसार आपकी फर्म/संस्था/कम्पनी द्वारा पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नवीनीकरण नहीं कराने से सरकार को राजस्व छति पहुंचायी जा रही है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी फर्म/संस्था/कम्पनी के द्वारा बोरवेल/ ट्यूबवेल का पंजीकरण कराना/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना/नवीनीकरण आदि हेतु भूगर्भ जल विभाग के वेब पोर्टल (<http://upgwdonline.in>) पर 05 दिवस के भीतर आवेदन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपकी फर्म/संस्था/कम्पनी आदि के विरुद्ध भूगर्भ जल अधिनियम-2019 में दिये गये प्राविधान के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आपकी फर्म/संस्था/कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग- शामली को मोबाइल नं0 8077181484 एवं ई-मेल ankitkumarashok7173@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(विनय कुमार तिवारी)
मुख्य विकास अधिकारी
शामली।

पत्रांक

/भू0ज0वि0/नोटिस/2024-25

तददिनांक ।

प्रतिलिपि:-

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, शामली।
2. नोडल अधिकारी/सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग शामली।

मुख्य विकास अधिकारी
शामली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०), नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए० संख्या 1225/2024 Amit kumar Vs Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024 के अनुपालन में M/s Kuber Traders पर लगाये गये आरोप/तथ्यों जिसमें भूगर्भ जल से सम्बंधित तथ्यों का बिन्दुवार निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय निदेशक भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश भूजल भवन (रा०भू०सू०प्र०के०) के पत्र संख्या 1317/भू०ज०वि०/एस-26 (एन०जी०टी०) दिनांक/लखनऊ/दिसम्बर 05.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें (संलग्नक)। जिसके अन्तर्गत जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन में स्थापित M/s Kuber Traders का मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०), नई दिल्ली में विचारधीन ओ०ए० संख्या 1225/2024 Amit kumar Vs Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2024 के अनुपालन में (एन०जी०टी०) द्वारा दिये गये आदेश में भूगर्भ जल के निष्कर्ण, दोहन, प्रदूषित करने के संबंध में तथ्यों के उजागर किया है जिसकी सुनवाई आगामी माह दिनांक 07.02.2025 को होनी निश्चित है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना चाहते हैं कि सम्बंधित फर्म पर लगे आरोपो/तथ्यों का निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या तैयार कर प्रेषित कि जा रही है।

1. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि M/s Kuber Traders Khasra No 110, Village Bhatti Majra, Manglaura- Bidauli Road, Post- Udpur, Tehsil- Un, District Shamli, Pin Code- 247773 बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये संचालित की जा रही है।
2. M/s Kuber Traders द्वारा टायर आइल एवं पायरोलिसिस आइल को टैंकों में भण्डारण किया जाता है तथा इस आइल को ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन करने के लिए गर्म किया जाता है, गर्म करने के लिए इंधन के रूप में लकड़ियों को जलाया जाता है। जैसा कि ज्ञात है कि टायर आइल एवं पायरोलिसिस आइल में अत्याधिक कार्बन की मात्रा होती है जिसके कारण आइल को गर्म के पश्चात विभिन्न प्रकार कि विषैली गैस उत्पन्न होती है। जो कि पर्यावरण को दूषित करती है एवं मनुष्य के श्वासन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है।



3. M/s Kuber Traders द्वारा पानी का उपयोग केवल घरेलू उपयोग जैसे खाना बनाने नहाने एवं साफ सफाई इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है पानी का उपयोग औद्योगिक संबंध के लिए नहीं किया जाता। जिसकी प्रतिदिन खपत 10 KLD से कम है जिसके लिए उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन प्रधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर



प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भूगर्भ जल आहरण 10 KLD प्रतिदिन से कम हो, को छूट प्रदान करती है तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे (ANNEXURE-6)।

M/s Kuber Traders द्वारा दिनांक 20.01.2025 में पंजीकरण करा लिया है जिसकी आवेदन प्रमाण पत्र संख्या SHML0125RBU0002 है। (ANNEXURE-7)

4. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि M/s Kuber Traders टायर आइल एवं पायरोलिसिस आइल को टैंकों में भण्डारण किया जाता है टैंक को खाली एवं भरते समय तेल का कुछ भाग भूमि पर गिर जाता है जो कि बरसात के दिनों में पानी के साथ मिलकर भूमि के अन्दर जाने की सम्भावना रही है, जो कि भविष्य में भूगर्भ जल की गुणवत्ता का प्रदूषित कर सकता है। जिसके क्रम में M/s Kuber Traders द्वारा उपयोग किये जाने वाले नलकूप का जल नमूना निरीक्षण के दौरान एकत्रित किया गया जिसको जल निगम ग्रामीण शामिली द्वारा टेस्ट किया जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। (ANNEXURE-8)



5. M/s Kuber Traders के पास एक गुरु वशिष्ठ इंटर कॉलेज है जिसकी दूरी मात्र 250 मीटर तथा पास ही मंगलोरा ग्राम है जिसकी दूरी लगभग 450 मीटर है। M/s Kuber Traders द्वारा टायर आइल एवं पायरोलिसिस आइल को टैंकों में भण्डारण किया जाता है उससे गर्म होने पश्चात जो तीव्र विषैली गैस निकलती है जो कि आस पास के कॉलेज के छात्रों एवं ग्राम वासियों के लिए हानिकारक है। हमें ज्ञात है की यह ज्वलनशील तेल है, यदि भविष्य में भण्डारण किये गये तेल में आग लगती है तो आग पर काबू करने के लिए किसी भी प्रकार का यन्त्र या विधि नहीं है जिससे की पास ही के कॉलेज एवं ग्राम को एवं फसलों को हानि हो सकती।



6. M/s Kuber Traders द्वारा दिनांक 17.10.2024 से पहले जिस भट्टी का प्रयोग किया जाता था उसे प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं उपजिलाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान स्थाई रूप से बन्द करा दिया गया था। जो की वर्तमान में दिनांक 13.01.2024 में किये गये निरीक्षण के दौरान पूर्ण रूप से बन्द पाई गयी। तेल को गर्म करने के लिए टैंक में निम्न स्तर पर सीधे लकड़ीयों को जलाकर गर्म किया जा रहा है।





GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

Form 1(B)/फॉर्म 1(बी)

[See rule 6(2)/नियम 6(2) देखें]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

कूप के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र

(Commercial/Industrial/Infrastructural/Bulk user having N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department)
(वाणिज्यिक/औद्योगिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोक्ता जिनके पास एन.ओ.सी. केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी किया गया)

[UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]
[उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019 का युआईएस 10 (1) या 11 (1)]

Applicant's Details आवेदक का विवरण			
Type of Applicant आवेदक का प्रकार	Behalf of Firm/Company	Application Number आवेदन संख्या	SHML0125RBU0002
Application Date आवेदन तिथि	21/01/2025		
Name of the Applicant आवेदक का नाम	JAI SINGH		
Mobile No. मोबाइल नंबर	8708587542	Email ID. ईमेल आईडी	jaikubertraders@gmail.com
Date of Birth जन्मतिथि	15/03/1980	Gender लिंग	Male
Nationality राष्ट्रीयता	Indian	ID as Address Proof निवास प्रमाण हेतु आईडी	Aadhaar Card
Aadhaar Card Number	6675-4741-6773	Uploaded Aadhaar Card अपलोड किया गया आधार कार्ड	Download
House No./Flat No./Building No. मकान सं०/फ्लैट सं०/भवन सं०	0, MANGLORA, PARGANA, BIDOLI, SHAMBLI, Unnao, Uttar Pradesh, 209801	Locality/Village मुहल्ला/गाँव	
City/Town/Post Office नगर/कस्बा/पोस्ट ऑफिस	SHAMLI	State राज्य	Uttar Pradesh
District जनपद	SHAMLI	Pin Code पिन कोड	209801
Designation पद	PROPRIETOR	Company Name कंपनी का नाम	KUBER TRADERS
Company Address कंपनी का पता	VILL-BHATTI MAZRA, KHASRA NO 110, BIDOLI, UNN, SHAMLI	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Details of Proposed Well प्रस्तावित कूप का विवरण			
District जनपद	Shamli	Block ब्लॉक	UAN
Plot No./Khasra No. प्लॉट संख्या/खसरा संख्या	VILL-BHATTI MAZRA, KHASRA NO. 110, BIDOLI,	Municipality/Municipal Corporation नगर पालिक/नगर निगम	No

Ward No./Holding No. वॉर्ड संख्या/होल्डिंग संख्या	N/A	Uploaded Land Details अपलोड किया गया भूमि का विवरण	Download	
Uploaded Google / Toposheet Map अपलोड किया गया कूप का गूगल / टोपोशीट मैप	Download			
Location Coordinates स्थान निर्देशांक	29.35574 77.06514	Google Map गूगल मैप	Download	
Particulars of The Proposed Well प्रस्तावित कूप का ब्योरा				
Date of Construction/Sinking of Well कूप की निर्माण तिथि	18/05/2022	Type of Well कूप का प्रकार	Tube Well/Boring	
Discharge of Tube Well (cum./hr) ट्यूबवेल का निर्वहन (cum./hr)	2			
Housing Pipe If Any यदि कोई है		No		
Strainer Details स्ट्रेनर का विवरण				
Material of Strainer स्ट्रेनर की सामग्री	PVC	Number of Strainer(s) स्ट्रेनर की संख्या	2	
S.No. क्रम संख्या	Strainer Installed at what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई पर स्थापित है (मीटर में)	Strainer Installed upto what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई तक स्थापित है (मीटर में)	Length (In meter) लंबाई (मीटर में)	Diameter (In millimeter) व्यास (मिलीमीटर में)
1	48.00	54.00	6.00	100.00
2	54.00	60.00	6.00	100.00
Approx. Depth of Well (In meter) कूप की अनुमानित गहराई (मीटर में)	60.00	Whether There has been Any Adverse Report Regarding Water Quality of the Well? क्या कूप के जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है?	No	
Ground Water Level (In meter) भूजल स्तर (मीटर में)	50.00			
Details of Proposed Pumping Device प्रस्तावित पंपिंग उपकरण का विवरण				
Type of Pump to be Used प्रयोग किये जाने वाले पंप का प्रकार	Submersible	Pump Capacity (In m ³ /hr) पंप क्षमता (m ³ /hr)	2.00	
Horse Power (H.P.) हॉर्स पावर (एच.पी.)	1.00	Length of Suction Pipe (In meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	50.00	
Operational Device परिचालन उपकरण	Electric Motor	Date of Energization विद्युतीकरण तिथि	15/08/2022	
Details of Utilization of Well कूप के उपयोग का विवरण				

Purpose of the Proposed Well प्रस्तावित कूप का उद्देश्य?	Bulk User		
Annual Running Hours वार्षिक उपयोग (घंटे में)	365.00	Annual Days वार्षिक उपयोग (दिनों में)	365
Daily Running Hours दैनिक उपयोग (घंटे में)	1.00	Whether the Water Supplied in Well Area Through Pipe Water Supply or Not? क्या क्षेत्र में जल की आपूर्ति पाइप जलापूर्ति के माध्यम से होती है?	No
Whether Rain Water Harvesting Structure has been Constructed within the Premises? क्या परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है?	No	Any Other Information Which You Would Like to Furnish कोई अन्य जानकारी जो आप प्रदान करना चाहते हैं	We are using this borwel ground water for drinking and washing purpose only. This borwel ground water is not used in any kind of manufacturing activity or any industrial process
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			730.00
Affidavit on non judicial stamp paper of Rs, 10 for installation of appropriate rain water harvesting structure/ measure within a period of one year from Issuing of NOC Date एन.ओ.सी तिथि जारी करने से एक वर्ष की अवधि के भीतर उचित वर्षा जल संचयन संरचना / माप की स्थापना के लिए रु 10- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर			Download
Does industry come under MSME? क्या उद्योग MSME के अंतर्गत आता है ?	Yes		
MSME Certificate No. एमएसएमई प्रमाणपत्र संख्या	UDYAM-UP-44-0000270	MSME Certificate Issuance Date एमएसएमई प्रमाणपत्र के निर्गमन की तिथि	28/09/2020
MSME Certificate Validity एमएसएमई प्रमाणपत्र की वैधता	27/09/2025	Uploaded MSME Certificate अपलोड किया गया एमएसएमई प्रमाणपत्र	Download
Type of MSME एमएसएमई का प्रकार	Small		
NOC Issued By: अनापत्ति प्रमाण पत्र (द्वारा निर्गत)			
Central Ground Water Authority केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण			No
Ground Water Department Uttar Pradesh भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार			No

Declaration by the Applicant
आवेदक द्वारा उद्घोषणा

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true . I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/registration is liable to be rejected/cancelled ..

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सही व सत्य हैं। मैं जानता हूँ कि यदि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण असत्य पाये गए तो मेरा आवेदन/रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत/निरस्त किए जाने योग्य होगा।

I Agree/मैं सहमत हूँ

Note/नोट

- Separate application forms should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction or alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification or scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
 - (a) Document showing proof of ownership of land;
 - (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification.
 - (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no.2(a), (b)and(c).
 - (d) Affidavit referred to in item no. 7(e)
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.



District Level Water Analysis Laboratory of Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) Shamli



TC-13814

Test Report (Water)

Analysis Report

District Level Water Analysis Laboratory, U.P. Jal Nigam (Rural), Shamli Uttar Pradesh, India

Report No.	74/103/02	Date:	22/01/2025	Page No. 01
Customer Name	Kuber Traders Shamli			
Office Name and Address	Khasra No. 110, Bhatti Mazra, Manglaura Bidauli Road, Post Udpur Tehsil- Un, Shamli			
Ref Letter No & date	मूजताविठ / एठजीठटीठ / 2024-25		20/01/25	

Basic Details of Sample

District	Shamli	Block	Un
Gram Panchayat	Udpur	Village/Mohalla	Bhatti Mazara
Habitation	Bhatti Mazara	Location/Site name	MS Kuber Traders Shamli
Water Source	Submersible	Sample No.	SML-1614
Quantity of Sample (ml)	1 ltr	Date of Sample Collect.	20/01/2025
Receiving Date	20/01/2025	Sample Collector	Ankit Kumar
Sample Depositor	Manish Kumar	Sampling Method	IS 17614 (Part 1):2021
Analysis Strat date	20/01/2025	Analysis completion date	21/01/2025

Technical Data Analysis

S. No.	Analysis Parameter	Units	Observed Value	Specified Values as per IS 10500:2012		Ref. Method of Analysis
				Acceptable Limit	Permissible Limit	
1	2	3	4	5	6	7
2	Odour	-	Agreeable	Agreeable	Agreeable	IS 3025 (Part 5):2021
3	Taste	-	Agreeable	Agreeable	Agreeable	IS 3025 (Part 7):2023
4	pH	-	6.76	6.5-8.5	6.5-8.5	IS 3025 (Part 11):2022
5	Colour	Hazen	5	5	15	IS 3025 (Part 4):2021
6	TDS	mg/L	200	500	2000	IS 3025 (Part 16):2023
7	Chloride	mg/L	91.97	250	1000	IS 3025 (Part 32):2019
8	Total Alkalinity	mg/L	170	200	600	IS 3025 (Part 23):2023
9	Total Hardness	mg/L	188	200	600	IS 3025 (Part 21):2019
10	Sulphate	mg/L	45.6	200	400	APHA 24 th 4500 SO4 E. Turbidity Method:2023
11	Nitrate	mg/L	3.63	45	45	APHA 24 th 4500 NO3 B. UV Spec Method:2023
12	Fluoride	mg/L	0.415	1	1.5	APHA 24 th 4500-F.C. Electrode Method:2023
13	Iron	mg/L	0.32	1	1	APHA 24 th 3500 Fe B. P.throline Method:2023
14	Calcium	mg/L	40.7	75	200	IS 3025 (Part 40):2019
15	Magnesium	mg/L	21.38	30	100	IS 3025 (Part 46):2023
16	Free Res. Chlorine	mg/L	0.0	0.2	1	IS 3025 (Part 26):2021
17	Conductivity	mg/L	400	2000	4000	IS 3025 (Part 14):2013
18	E. Coli	CFU/100ml	0	0	0	IS 15185:2016 (RA 2021)
19	Total Coliform	CFU/100ml	0	0	0	IS 15185:2016 (RA 2021)

Note

- 1 This Certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing.
- 2 This Certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from Head of Laboratory.
- 3 The test results reported in this certificate are valid at the time of send under the stated conditions of measurements.
- 4 Sample will be stored up to 7 days. (in case of non-perishable items only) from the date of issue of tests report unless.
- 5 Only serial number 2 to 15 parameters are NABL accredited

Prepared by

Reviewed by



End of Report

Laboratory Contact Details: Email-Id: upjnlabshamli@gmail.com, Mobile no.: +91 9528906867, +91 989782974



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 2 मार्च, 2021

फाल्गुन 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 330/76-3-2021-44एनजी-2020

लखनऊ, 2 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०पा०नि०-9

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 51 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण की संस्तुति पर, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनका भू-गर्भ जल आहरण 10 घन मीटर प्रतिदिन से कम हो, को भू-गर्भ जल निष्कर्षण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपबन्ध से छूट प्रदान करती है। तथापि ऐसे उद्यम पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 तथा 11 के अधीन यथाविहित रीति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।